28

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़।

प्रकरण संख्या :- 8/2018

प्रार्थना–पत्र :- सुरेन्द्र कौर पत्नि गुलजारसिंह वगैरा जाति रायसिख सा. 4 एस जे एम– बी तहसील अनूपगढ़।

निर्णय

दिनांक :- 25/4/18

प्रार्थीगण सुरेन्द्रकौर पत्नि गुलजारसिंह, कृपालसिंह, जरनैलसिंह, अजायबसिंह, विधादेवी, बन्तोदेवी, गुरदीपकौर, मनजीतकौर, अमरजीतकौर पुत्र/पुत्रियां गुलजारसिंह जाति रायसिख निवासी 4 एस जे एम (बी) तहसील अनूपगढ़ ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 4 एसजेएम – बी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 255/379, 256/379, 255/379 में कुल 10.880 है. में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रार्थीगण की सासा/दादी गंगोबाई पत्नि चनणसिंह के नाम से है उक्त भूमि की प्रार्थीगण की सास/दादी ने प्रार्थीगण के पति/पिता गुलजारसिंह पुत्र चनणसिंह के नाम से दिनांक 10.01.1979 को वसीयत की थी। प्रार्थीगण की सास/दादी व पति/पिता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण ने वसीयत दस्तावेज की प्रति व सास/दादी का मृत्यु प्रमाण–पत्र व पति/पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर भूमि का नामान्तकरण किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली संधारित कर पेशी पर ली गई। सर्वप्रथम सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर उजात आमंत्रित किये गये। पटवारी हल्का से मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट तलब की गई एवं प्रार्थीगण को वसीयत प्रार्थना–पत्र की पुष्टि में साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। रिपोर्ट पटवारी हल्का 7 एस जे एम (बी) अनुसार चक 4 एस जे एम (बी) का प0न0 256/379 में 4.680 है., प.नं. 255/379 में 2.403 है., प. नं. 255/379 में 3.797 है. कुल 10.880 है. कमाण्ड भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि गंगोबाई पत्नी चननसिंह जाति रायसिख सा. 4 एसजेएम (बी) नाम से दर्ज रिकार्ड है। रकबा वसीयतकर्ता को अपने पति चननसिंह से विरास्तन प्राप्त है परन्तु महिला होने के कारण अपनी हिस्सा भूमि की पूर्ण स्वामिनी है। रकबा पर किसी न्यायायल का स्थगन/वाद नही है रकबा प्रार्थीगण के कब्जा–काश्त में है। सार्वजनिक आपत्ति सूचना समाचार पत्र हांसल समाचार में दिनांक 03/02/2018 को प्रकाशित करवाई गई, जिस पर आज तक किसी ने कोई उज्र वा एतराज पेश नहीं किया है। वसीयतनामा की पुष्टि मे वसीयत में गवाह जागरसिंह पुत्र सोनासिंह व जरनैलसिंह पुत्र गुलजारसिंह ने अपने तस्दीशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जिन्हे पत्रावली में शामिल किया गया।

इस प्रकरण मे वसीयत दस्तावेज में खातेदार गंगाबाई पत्नि चनणसिंह ने अपनी भूमि चक 4 एस जे एम (बी) का प0न0 256/379 में 4.680 है., प.नं. 255/379 में 2.403 है., प. नं. 255/379 मे 3.797 है. कुल 10.880 है. कमाण्ड भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि की वसीयत अपने पुत्र गुलजारसिंह पुत्र चनणसिंह जाति रायसिख निवासी 4 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ के पक्ष में निष्पादित की हुई है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट इस प्रकरण मे कोई स्थगन/विवाद नहीं है। भूमि मौका पर मृतक गुलजारसिंह के वारिसान द्वारा काश्त की जा रही है। समाचार पत्र में सूचना प्रकाश के बावजूद किसी ने वसीयत से एतराज प्रस्तुत नहीं किया है।

उक्त मिसल में प्रस्तुत सबूतो का भली भांती अध्ययन किया व भली भांती विवेचन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थीगण का हस्तगत वसीयत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है व पटवारी हल्का को आदेश दिये जाते है कि गंगाबाई द्वारा मृतक गुलजारसिंह पुत्र चनणसिंह के पक्ष मे की गई वसीयत अनुसार भूमि का विरास्तन नामान्तकरण मुताबिक वारिसानामा प्रार्थीगण सुरेन्द्रकौर पत्नि गुलजारसिंह, कृपालसिंह, जरनैलसिंह, अजायबसिंह, विधादेवी, बन्तोदेवी, गुरदीपकौर, मनजीतकौर, अमरजीतकौर पुत्र/पुत्रियां गुलजारसिंह जाति रायसिख निवासी 4 एस जे एम (बी) तहसील अनूपगढ़ के नाम से दर्ज कर निस्तारण करवाये। पत्रावली नम्बर शुमार से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/4/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.4.18

(दानाराम भूणा)

तहसीलदार एम.भू.अ

अनूपगढ़